राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञप्ति

दिनांक : 14.05.2018

प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय) प्रतियोगी परीक्षा, 2018 के अन्तर्गत कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन नहीं कर पाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर में याचिकाऐं दायर की हैं । ऐसी याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय ने ऑफलाईन/ऑनलाईन अथवा केवल ऑफलाईन आवेदन पत्र भरवाये जाने बाबत् आयोग को निर्देशित किया है ।

चूँकिं आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में ऑनलाईन आवेदन पत्र ही आमंत्रित किये जाते हैं तथा ऑफलाईन आवेदन लेने की कोई व्यवस्था नहीं है, परिणामस्वरूप आयोग द्वारा ऑनलाईन पोर्टल में आवश्यक तकनीकी संशोधन कर दिया गया है, साथ ही आधार कार्ड नंबर अंकित करने की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है।

अतः ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्हें ऑफलाईन/ऑनलाईन अथवा केवल ऑफलाईन आवेदन पत्र भरे जाने संबंधी आदेश माननीय न्यायालय से प्राप्त हुए हैं, सूचित किया जाता है कि वे आयोग के ऑनलाईन पोर्टल पर जा कर आवश्यक रूप से ऑनलाईन आवेदन पत्र भरें। इस बाबत् आयोग द्वारा उक्त पदों हेतु **ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 15.05.2018 से बढ़ाकर दिनांक 25.05.2018 को रात्रि 12.00 बजे तक की जाती है।** यदि किन्हीं तकनीकी कारणों से उक्त ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने में कठिनाई उत्पन्न होती है तो तुरन्त आयोग में व्यक्तिशः उपस्थित हो कर सूचित करें। ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने के सबंध में याची अभ्यर्थियों को पत्र द्वारा भी सूचित किया जा रहा है । विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

(पी0सी0बेरवाल)
सचिव